

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./ग्रुप-4/11  
मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर ।

जयपुर, दिनांक 18/5/11

विषय:- चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 5.03 लाख (अक्षर रूपये पांच लाख तीन हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	आवास संख्या	कार्य का विवरण	टर्कि (लाखों में)	कुल टर्कि (लाखों में)
1.	4/75, गांधीनगर, जयपुर	1. टिन रोड इनकन्सुलिंग स्टील कार्य 2. कम्पाउण्ड वाल गेट विद्य पिलर 3. किचन नदीनीकरण	0.16 0.16 0.15	0.47
2.	4/73, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नदीनीकरण 2. गेट टाईल फ्लोरिंग 3. रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग 4. बुडन डोर शटर	0.15 0.12 0.13 0.06	0.46
3.	4/72, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नदीनीकरण 2. टॉयलेट नदीनीकरण 3. फ्लोरिंग कार्य 4. बुडन डोर शटर	0.15 0.15 0.13 0.03	0.46
4.	एफ-065, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नदीनीकरण 2. किचन नदीनीकरण 3. गेट टाईल फ्लोरिंग 4. कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0.15 0.15 0.12 0.07	0.49
5.	एफ-127, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नदीनीकरण 2. कार रोड कार्य 3. रफ कोटा स्टोन	0.10 0.20 0.11	0.41
6.	4/50, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नदीनीकरण 2. टॉयलेट नदीनीकरण 3. गेट टाईल फ्लोरिंग 4. स्टील विण्डो	0.15 0.15 0.17 0.03	0.50
7.	4/56, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नदीनीकरण 2. गेट टाईल फ्लोरिंग	0.15 0.18	0.33
8.	एफ-416, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नदीनीकरण 2. किचन नदीनीकरण 3. रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0.20 0.20 0.08	0.48
9.	एफ-135, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन व टॉयलेट नदीनीकरण 2. रिन्सेसमेंट ऑफ विण्डो 3. पीओ एण्ड एफओ रफ कोटा स्टोन	0.25 0.12 0.10	0.47
10.	एफ-195, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नदीनीकरण 2. किचन नदीनीकरण 3. टाईल फ्लोरिंग वर्क	0.15 0.15 0.18	0.48
11.	एफ-403, गांधीनगर, जयपुर	1. टाईल फ्लोरिंग वर्क 2. रिन्सेसमेंट ऑफ डोर 3. रिन्सेसमेंट ऑफ सेवजन विण्डो 4. पीपीसी स्टोरेज टैंक	0.32 0.05 0.06 0.05	0.48
		योग		5.03

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण फूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।


भवदीय



उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (5) सा.प्र./गुप-4/11

जयपुर, दिनांक 18/5/11

मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 2.58 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख अठावन हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	5/120, गांधीनगर, जयपुर	1. फ्लोरिंग वर्क 2. बाथ नवीनीकरण 3. किचन नवीनीकरण	0.13 0.15 0.15	0.43
2.	5/4, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण	0.15 0.15	0.30
3.	5/60, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण 3. बुडन खोर शटर 4. सीसी फ्लोरिंग	0.15 0.15 0.03 0.06	0.39
4.	5/57, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण 3. फ्लोरिंग कार्य 4. बुडन खोर शटर 5. स्टील विण्डो	0.15 0.15 0.09 0.04 0.05	0.48
5.	5/105, गांधीनगर, जयपुर	1. मेन गेट कार्य 2. टैन शेड कार्य 3. किचन नवीनीकरण	0.15 0.20 0.15	0.50
6.	5/65, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. कम्पाउण्ड वाल गेट कार्य 3. बाथरूम नवीनीकरण 4. फ्लोरिंग कार्य	0.15 0.16 0.15 0.02	0.48
कुल योग				2.58

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

*sd*

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

*sd*  
उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (6) सा.प्र/गुप-4/11

जयपुर, दिनांक 18/5/11

मुख्य अभियंता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- छठवीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित छठवीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु 1.94 (अक्षरे एक लाख चौरानवें हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	आवासों संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	एच-554, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नदीनीकरण 2. टॉयलेट नदीनीकरण 3. पीपीसी जोर	0.15 0.20 0.10	0.45
2.	एच-651, गांधीनगर	1. टाइल वर्क 2. सैकशन विण्डो 3. सीसी फ्लोरिंग	0.12 0.03 0.15	0.30
3.	एच-654, गांधीनगर, जयपुर	1. एसी शेड 2. टाइल वर्क 3. पीपीसी जोर	0.20 0.12 0.10	0.42
4.	एच-588, गांधीनगर	1. एसी शेड 2. टॉयलेट नदीनीकरण	0.20 0.15	0.35
5.	एच-864, गांधीनगर	1. एसी शेड 2. फ्लश जोर शटर 3. टाइल्स वर्क	0.20 0.10 0.12	0.42
			कुल योग	1.94

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800-अन्य व्यय (01) निर्माण [5] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना निम्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE (B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

*sl*

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिसापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिसापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली

*sl*

उप शासन सचिव (क)